



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन 1948 (श10)

(सं० पटना 1164) पटना मंगलवार 29 सितम्बर 2026

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

29 सितम्बर 2026

सं० एम2-03 (TC&GC)/2026/61—बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 से संबंधित माननीय राज्यपाल, बिहार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या :-एम2-03 (TC&GC) /2026-60 दिनांक 29.09.2026. एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या:- 322/बिहार-वि.प.-जी&टी/2026 दिनांक 29.09.2026 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
माधव कुमार सिंह,  
अपर सचिव-सह-  
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

## निर्वाचन विभाग

## अधिसूचना

29 सितम्बर 2026

सं० एम2-03 (TC&GC)/2026/60—यतः, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में दी गई संख्याओं के अनुसार, सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से बिहार राज्य की विधान परिषद् के 08 (आठ) सदस्यों के स्थान सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित तारीखों को, उन सदस्यों की पदावधि के अवसान पर सेवानिवृत्ति होने से रिक्त होने जा रहे हैं, और;

यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से द्विवार्षिक निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम् 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, बिहार राज्य के राज्यपाल, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट उक्त परिषद् निर्वाचन क्षेत्र में से प्रत्येक से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम् के और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उक्त रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से राज्य की विधान परिषद् के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उस निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:-

## सारणी

| निर्वाचन क्षेत्र का नाम        | निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या | सेवानिवृत्ति की तारीख |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| (1)                            | (2)                                       | (3)                   |
| पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र   | 1                                         | 16.11.2026            |
| दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र | 1                                         |                       |
| तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र | 1                                         |                       |
| कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र   | 1                                         |                       |
| पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र   | 1                                         |                       |
| दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र | 1                                         |                       |
| तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र | 1                                         |                       |
| सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र   | 1                                         |                       |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
माधव कुमार सिंह,  
अपर सचिव-सह-  
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

## Election Department

*Notification**The 29<sup>th</sup> September 2026*

**No. M2-03(TC&GC)/2026/60**—WHEREAS, the seats of Eight members of the Legislative Council of the State of Bihar, elected from the Council Constituencies, specified in column (1) of the Table below, as per the numbers shown in the corresponding entries in column (2) of the Table, are going to fall vacant on the retirement of those members, on the dates mentioned in the corresponding entries in column (3) of the Table, on the expiration of their term of office; and

WHEREAS, Biennial election has to be held for the purpose of filling the above vacancies so arising;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India in pursuance of Section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the said Council Constituencies, specified in column (1) of the Table below, to elect the number of members, specified against that Constituency in column (2) of the said Table, to the Legislative Council of the State, for the purpose of filling the above said vacancies, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:-

**Table**

| <b>Name of Constituency</b>       | <b>No. of members to be elected</b> | <b>Date of retirement</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>(1)</b>                        | <b>(2)</b>                          | <b>(3)</b>                |
| Patna Graduates' Constituency     | 1                                   | 16.11.2026                |
| Darbhanga Graduates' Constituency | 1                                   |                           |
| Tirhut Graduates' Constituency    | 1                                   |                           |
| Kosi Graduates' Constituency      | 1                                   |                           |
| Patna Teachers' Constituency      | 1                                   |                           |
| Darbhanga Teachers' Constituency  | 1                                   |                           |
| Tirhut Teachers' Constituency     | 1                                   |                           |
| Saran Teachers' Constituency      | 1                                   |                           |

**By order and in the name of the Governor of Bihar,**  
**Madhav kumar Singh,**  
*Additional Secretary-cum-*  
*Additional Chief Electoral officer, Bihar.*

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001/ दिनांक 29 सितम्बर, 2026

सं. 322/बिहार-वि.प.-जी&टी/2026—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम् 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अधीन जारी और राज्य के शासकीय राजपत्र में 29 सितम्बर 2026 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा बिहार राज्य के राज्यपाल ने नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्येक से यह अपेक्षा की है कि बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए उस निर्वाचन-क्षेत्र के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:-

## सारणी

| निर्वाचन क्षेत्र का नाम        | निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| (1)                            | (2)                                   |
| पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र   | 1                                     |
| दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र | 1                                     |
| तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र | 1                                     |
| कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र   | 1                                     |
| पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र   | 1                                     |
| दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र | 1                                     |
| तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र | 1                                     |
| सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र   | 1                                     |

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग अयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 06 अक्टूबर, 2026 (मंगलवार)
- (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 07 अक्टूबर, 2026 (बुधवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख - 09 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार)
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा - 23 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार) और
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा- 31 अक्टूबर, 2026 (शनिवार) और
- (आ) 08:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,  
सुमन कुमार दास  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated 29<sup>th</sup> September, 2026*

**No. 322/BR-LC-G&T/2026**— WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by notification issued under Section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the official Gazette of the State on 29<sup>th</sup> September, 2026, been pleased to call upon each of the Council Constituencies, specified in column (1) of the Table below, to elect the number of members specified against that Constituency in column (2) of the said Table, to the Legislative Council of the State of Bihar:-

**Table**

| <b>Name of Constituency</b>        | <b>No. of members to be elected</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>(1)</b>                         | <b>(2)</b>                          |
| Patna Graduates' Constituency      | 1                                   |
| Darbhangha Graduates' Constituency | 1                                   |
| Tirhut Graduates' Constituency     | 1                                   |
| Kosi Graduates' Constituency       | 1                                   |
| Patna Teachers' Constituency       | 1                                   |
| Darbhangha Teachers' Constituency  | 1                                   |
| Tirhut Teachers' Constituency      | 1                                   |
| Saran Teachers' Constituency       | 1                                   |

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 30 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby –

**(A)** appoints, with respect to the said election in each of the Constituencies, -

- (a) the 06<sup>th</sup> October, 2026 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 07<sup>th</sup> October, 2026 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 09<sup>th</sup> October, 2026 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 23<sup>rd</sup> October, 2026 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 31<sup>st</sup> October, 2026 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

**(B)** fixes the hours from 08:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

SUMAN KUMAR DAS,  
Secretary,  
Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 1164-571+50-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>